XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R/2235/I/15 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
16.7.15	1– मैनं प्रकरण का आवलोकन किया एंव आवेदक के तर्कों पर विचार किया गया। यह निगरानी अपर कलेक्टर सागर के प्रकरण क्रमांक 66/अ–23/05–6 मे पारित आदेश दिनांक 25/2/09 के विरूद्व म0 प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर तर्क में कहा गया है कि संहिता की धारा 165(7) ख, के अनुसार बिना कलेक्टर महोदय की स्वीकृति के कोई पट्टेदार अपनी भूमि विक्रय नहीं कर सकता है, परंतु संहिता की धारा 158(3) में यह व्यवस्था दी गई कि पट्टेदार 10 वर्ष बाद भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद अपनी भूमि का विक्रय बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के भी कर सकता है। 3– आवेदक की ओर से तर्क दिया गया है कि इस प्रकरण में पट्टैदार को दिनांक 29/5/76 को ग्राम गढौली स्थित भूमि खसरा क्रमांक 26/13 नवीन खसरा क्रमांक 113 रकवा 1.05 हे का पट्टा प्रदाय किया गया था तथा वर्ष 1984 में उसे भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे तथा आवेदक द्वारा पट्टा प्राप्ति की अवधि से 11 वर्ष उपरांत रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21/7/1987 से भूमि क्रय की है। जिस कारण से अपर कलेक्टर सागर का आदेश निरस्त किए जाने योग्य है। यह भी तर्क किया है कि म. प्र. शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 16–1/84/07/2ए दिनांक 9/2/84 को सभी पट्टेदारों के साथ भूमिस्वामी अधिकार प्रदाय किए गए थे जिसे पट्टेदार द्वारा दिनांक 21/7/1987 को आवेदक को विक्रय पत्र निष्पादित किया जिसका नामांतरण क्रेता आवेदक के पक्ष में हो गया था। तथा ऐंसी स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही एवं पारित आदेश उपरोक्त इस प्रकरण में प्रभावशील नहीं है, जैसा कि रे.नि. 2004 पृष्ठ 183 दयाली तथा 1 अन्य विरूद्ध महिला श्यामबाई व अन्य में भी मान्य किया गया है कि, धारा 165(7–ख)– सरकारी पट्टेदार द्वारा आवंटन के 10 वर्ष पश्चात् भूमि स्वामी अधिकार अर्जित–भूमि का विक्रय कर सकता है– कलेक्टर की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक नहीं। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीन एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आधुनिक गृह निमार्ण सहकारी समिति मर्या. वि. म.प्र.	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	राज्य तथा एक अन्य में मान्य किया है। जो इस प्रकरण में प्रभावशील है। 4— आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 11 वर्ष पूर्व किये गये विक्रय पत्र का शून्य किये जाने बावत् कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। व राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि क्रेता द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.—44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। उपरोक्त उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत उच्च न्यायालय रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया नामांतरण आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 25—02—2009 निरस्त करने का अनुरोध किया है। 5— मैंने आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर कलेक्टर सागर का आदेश एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण में दिये गये प्रतिवेदन के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया गया है। प्रश्नाधीन भूमि का पट्टा वर्ष 1976 में दिया गया था और भूमि का विक्रय वर्ष 1987 में किया गया है। जो 10 वर्ष पश्चात् किया गया है ऐंसी स्थिति में पट्टेदार को भूमि स्वामी अधिकार प्राप्त होने के बाद किया गया अंतरण अवैध नहीं माना जा सकता। आवेदक द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25—02—2009 निरस्त किया जाकर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में पूर्ववत् दर्ज किया जाये, तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

राजेमुद्रण-782-सचिव-26-2-07-20,000.

निगरानी-2235-I-15

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर,केम्प सागर

हुकुमसिंह तनय रमेश्वर यादव
निवासी ग्राम गढौली तह.बीना जिला सागर ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ....अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/2/09 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :–

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम गढौली स्थित भूमि खसरा क्र 26/13 नवीन खसरा क्र 113 रकवा 1.05 हे. भूमि निगरानीकर्ता ने प्रेमनारायण तनय बट्टेलाल से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21/7/87 द्वारा क्रय की गयी थी जिस पर निगरानीकर्ता बैनामा दिनांक से मालिक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है परंतु नायब तहसीलदार बीना के प्रतिवेदन के आधार पर अपर कलेक्टर सागर द्वारा अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व निगरानीकर्ता द्वारा एक अपील अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसको मूलतः वापिस प्राप्त कर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।

2. यह कि, अपर कलेक्टर सागर द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

3. यह कि, अपर कलेक्टर सागर द्वारा इस तथ्य की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया कि नायब तहसीलदार बीना द्वारा प्रतिवेदन विक्रय पत्र संपादित होने के दिनांक से करीब